28.3.19 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा०
पत्र का सम्यक अवलोकन किया गया। प्रार्थी
द्वारा प्रा० पत्र के तथ्य, वांच्छित अनुतोष,
अप्रार्थी के जवाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेज का आद्योपान्त गहन मनन
अवलोकन किया गया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]
	प्रक०) वर्णित भूमि ग्राम बड़ोदिया कलाँ ख० नं० 83 रकबा 1.35 हेक्टर ख०नं० 80, 81 82 के साथ, धन्नालाल, गौरीशंकर गजानन मोहननाथ पुत्र व कमला, भोरस पुत्रियाँ तथा नारायणी बाई पत्नि स्व० राधाकिशन हिस्सा ½, कंवरया पुत्र रामसुख हि० ½ के नाम पर दर्ज रिकार्ड था। उक्त भूमि में से ख० नं० 83 रकबा 1.35 हेक्टर में से कंवरिया ने अपना ½ हिस्सा प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 18.2.2015 से दान कर दिया। उक्त रामसुख के द्वारा नामान्तरण नम्बर 397 दिनांक 20.3.15 स्वीकार किया जाकर उक्त ख० नं० पर कंवरिया के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया तथा बकाया ½ हिस्से पर पूर्ववत पूर्व खातेदारान (सिवाय कंवरिया) के नाम दर्ज रहे। परन्तु नामान्तरण का अमल जमाबंदी में करते समय ख० नं० 83 के बजाय हर खाते के ½ हिस्से पर दानग्रहीता राम-नारायण का नाम सं० 2070-73 की जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया तथा एक शुद्धिपत्र सं. 2 दि० दि० 1-9-15 से खाते में देवलाल पुत्र रामनारायण धाकड़ हि० ½ का नाम दर्ज कर दिया गया। [signature] 28/3/19	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कालान्तर सं० 2074-77 की जमाबंदी में समस्त खसरा नम्बर पर पुनः प्रार्थी का नाम दर्ज कर दिया तथा ख० नं० 83 जिसे कंवरिया दान कर चुका था उस पर भी वापस कंवरिया का नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार यह तय है, कि खसरा नम्बर 83 पर कंवरया का नाम त्रुटिपूर्वक दर्ज किया गया है, तथा ख० नं० 80, 81, 82 पर प्रार्थी का नाम भी त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिया गया है। पैरोकार सरकार के जवाब में अंकित किया गया कि दानकर्ता का वास्तविक हिस्सा 1/4 ही बनता है, किन्तु कंवरया का प्रकरण वर्णित भूमि में हिस्सा 1/4 हो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। इसके विपरीत ख० नं० 83 रकबा 1.35 हे० में से कंवरया द्वारा प्रार्थी को अपना 1/2 हिस्सा हस्ब राजस्व अभिलेख दान कर दानपत्र का विधिवत पंजीयन करवाया है। ख० नं० 83 में प्रार्थी का हस्ब रजिस्टर्ड दानपत्र हिस्सा 1/2 नियत है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित पाया जाता है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि खसरा नम्बर 83 रकबा 1.35 हेक्टर के 1/2 हि० पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावे। बकाया 1/2 हिस्से पर	

28/3/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामा० नं० 397 दि० 20.3.15 अनुसार या तदुपरान्त अनुसार नाम यथावत रहेगी यह आदेश ख० नं० 83 के ग्राम बड़ारियाकलां के अलावा अन्य भूमि पर प्रभावी नहीं होगा। रिकार्ड में अमल दरामद हो। निर्णय आज दिनांक 28/3/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया। 28/3/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner